न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कैलास चन्द्र लखारा, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/227/2015

उनवान

1. अब्दुल अजीज पुत्र घासी खां मुसलमान निवासी सांगानेरी गेट, गुल नगरी, भीलवाडा तहसील एवं जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. महादेव कॉटन मिल जरिये श्रीमान् शंकर सिंह जी मानसिंहका निवासी भोपालगंज भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, भीलवाडा
3. नगर परिषद भीलवाडा जरिये आयुक्त , नगर परिषद भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा
5. मु0 जेतुन पुत्री घासी खां मुसलमान निवासी सांगानेरी गेट, गुलनगरी, भीलवाडा तहसील एवं जिला भीलवाडा
6. मोहम्मद रफीक पुत्र घासी खां मुसलमान निवासी सांगानेरी गेट, गुलनगरी, भीलवाडा तहसील एवं जिला भीलवाडा
7. मु0 शरीफन पुत्री घासी खां मुसलमान निवासी सांगानेरी गेट, गुलनगरी, भीलवाडा तहसील एवं जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 24/2011 निर्णय दिनांक 2710.2015

अधिवक्तागण :–

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

1. श्री बी एल वैष्णव ,अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री बी एल बापना, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3.श्री श्याम लाल गुर्जर अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 5
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 6.3.2020

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 एवं 92 क पेश किया । जिसके प्रकरण संख्या 64/2010 दर्ज किये गये। उक्त वाद पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 2.5.2011 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया । जिसे पुनः नम्बर पर लेने लिये जाने हेतु अपीलार्थी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 व सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विचारण निर्णय दिनांक 27.10.2015 को खारिज किया गया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की अनदेखी कर तथा बिना किसी संलग्न प्रार्थी के शपथ पत्र के तथ्यों का खण्डन होते हुए भी मनमकसूद तरीके से पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

4. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाण्ट वृद्ध व्यक्ति होकर अक्सर बीमार रहता है जिसका विवेचन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया , जिस पर घौर न कर प्रतिवादी के प्रत्यारोप को आधार बनाकर न्याय के सिद्धान्त को अवलोकन किये बिना न्याय की गरीमा को धूमिल करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होकर विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों की अनदेखी कर बिना उसका विवेचन किये मात्र मनमकसूद तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि मामला जायदाद से संबंधित है, जिसका निस्तारण किये बगैर सही तौर से बिना सुने बिना साक्ष्य लिये खारिज कर दिया, जिससे अपीलाण्ट न्याय से महरूम रह रहा है तथा सदा रह जायेगा। जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मेरिट पर किया जाना न्यायोचित है। जिसकी अनदेखी कर अपीलाण्ट को अपने हक अधिकारों से वंचित करने की गरज से प्रभाव में आकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2015 को निरस्त किया जावे एवं अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद का निस्तारण करने का निर्देश प्रदान किया जावे।

7. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रोपर रूप से वाद की पैरवी के लिए उपस्थित नहीं होने एवं उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/वादी का वाद पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया था।

8. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि महादेव कॉटन मिल के डायरेक्टर पूर्व में के के मानसिंहका थे एवं वर्तमान में शंकर सिंह मानसिंहका है। चूंकि डायरेक्टर परिवर्तित हो चुके हैं। इसलिए भी अपीलार्थी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं था।

9. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 सी पी सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया । उक्त प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया था। जिसका कोई समुचित कारण प्रस्तुत नहीं किया गया था। वादग्रस्त आराजी जो पूषा लाल जी मानसिंहका को महादेव कॉटन मिल नामक उद्योग स्थापित करने के लिए तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर, भीलवाडा द्वारा प्रदान की गई थी। चूंकि वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि नहीं थी एवं न ही अपीलार्थी/वादी का वादग्रस्त भूमि पर भी कब्जा रहा था। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी पी सी खारिज किया है वह विधिसम्मत है। अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपने कथनों की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण आर बी जे 2013 पेज 477, आर बी जे 2018 पेज 756 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया।

10. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य अधिवक्ता निवेदन है कि वादिया का दायित्व था कि वह अपने अधिवक्ता के सम्पर्क में रहता एवं अपने प्रकरण के विचारण हेतु सजग रहता । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीया को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया है। मूल वाद के निस्तारण के

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

उपरान्त प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विचारण खारिज किया गया है। जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीया खारिज की जावे।

11. प्रत्यर्थी संख्या 5 के योग्य अधिवक्ता ने अपीलार्थी के कथनों का समर्थन करते हुए अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी/वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 एवं 92 क पेश किया । जिसके प्रकरण संख्या 64/2010 दर्ज किये गये। उक्त वाद पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 2.5.2011 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया । जिसे पुनः नम्बर पर लेने लिये जाने हेतु अपीलार्थी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 व सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विचारण निर्णय दिनांक 27.10.2015 को खारिज किया गया ।

13. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/वादी का वाद पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। जिस पर अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी पी सी प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को विलम्ब से प्रस्तुत करने का समुचित कारण प्रस्तुत नही करने एवं वादग्रस्त आराजी को कृषि भूमि नहीं मानते हुए खारिज किया है। इस संबंध में अपीलार्थी/प्रार्थी का कथन रहा है कि वह वृद्ध होकर अक्सर बीमार रहता है। तथा

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

उसके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से उसका वाद पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया था। चूंकि मूल वाद में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त उपलब्ध साक्ष्य, रेकार्ड एवं दस्तावेज के आधार पर पक्षकारान के हक हितों का अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाता है। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने एवं अपीलार्थी/वादी के अनुपस्थित रहने से वाद पत्र को खारिज किया गया । अपीलार्थी/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं के बीमार होने बाबत मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया है एवं कथन किया गया है कि वह अक्सर बीमार रहता है । इसलिए वह अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाया था। इस आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया था। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में पक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक है। चूंकि अपीलार्थी वृद्ध होकर अक्सर बीमार रहता है। अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है। अधिवक्ता की लापरवाही के लिए पक्षकारान को दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने का अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

14. वादग्रस्त आराजी के पूर्व में डायरेक्टर श्री के के मानसिहका थे एवं वर्तमान में श्री शंकर सिह मानसिंहका होने का कथन प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा किया गया परन्तु

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

वादग्रस्त आराजी महादेव कॉटन मिल नामक उद्योग की है। वर्तमान में भी कम्पनी का नाम तो महादेव कॉटन मिल ही है। ऐसी स्थिति में डयारेक्टर का नाम परिवर्तित होने से प्रकरण के विषयवस्तु में कोई परिवर्तन नहीं आया है। न्यायहित में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने के निर्देश के साथ अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

15. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2015 निरस्त करते हुए अपीलार्थी/वादी के वाद को पुनः नम्बर पर लेकर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वादपत्र का निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया जाता है। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17/4/20 को उपस्थित रहें।

16. निर्णय आज दिनांक 6.3.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
भीलवाड़ा

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.03.06 13:34:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: